

11-11-17 Online Entry

# मालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, धनबाद

एम० पी० केश नं० ..... 581/2017

धारा 107 द.प्र.स.

तथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पत्र पर की गई कारवाई
4.4.17	अकबर अली बनाम अकबर अली जोरापोर	11.5.17
	..... थाना अप्राथमिकी सं० 20/17	29.5.17
	प्राप्त हुआ। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जाँच पदाधिकारी	12/6/17
	स० अ०नि०/अ०नि० जोरापोर ने जाँच कर अपना	29/6/17
	प्रतिवेदन थाना प्रभारी जोरापोर थाना एवं	17/7/17
	अ० निरी० जोरापोर ने अग्रसारित किया	4/8/17
	है जिसमें उल्लेख है कि उभय पक्षों की बीच आपसी चर्चा	23/8/17
	पिप्राद को	5/9/17
	..... लेकर	18/9/17
	तनाव है। उभय पक्ष कानून को अपने हाथों में लेकर स्थानीय परिशांति	5/10/17
	भंग करने पर तुले हुए तथा एक दूसरे के जान-माल पर खतरा पट्टा	18/10/17
	सकते हैं। प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि पक्षों के बीच गंभीर तनाव	3/11/17
	व्याप्त है तथा इनके कार्यों से कभी भी लोक परिशांति भंग हो सकती	16/11/17
	है। पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर मैं उभय पक्षों के विरुद्ध धारा 107	30/11/17
	द०प्र०सं० की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए उभय पक्षों को निर्देश देता हूँ	18.12.17
	कि वे मेरे न्यायालय में दिनांक 25.4.17 को 10.30 बजे	समाप्त
	पूर्वाहन उपस्थित होकर अपना कारण पृच्छा दाखिल करें कि क्यों नहीं	
	लोक परिशांति बनाये रखने के लिए आपके र 5000.00 रु० का दो	
	समप्रतिभृतियों के साथ बन्धपत्र लिया जाय।	
	लेखापित एवं संशोधित	
	अनुमंडल दण्डाधिकारी धनबाद	
	अनुमंडल दण्डाधिकारी धनबाद	

TK-106/17

31/11/17 - प्रथम पत्र की लाजरी है।  
द्वितीय पत्र 21 की लाजरी है। 15 का  
आवेदन है जिसमें किमा जाया है।  
दि 16/11/17 को रखा

16-11-17 प्रथम पत्र 21 की लाजरी है, प्रथम की  
15 का आवेदन है  
द्वितीय पत्र अछूत  
अदि. 30/11/17 को रखा, नम्बर 2430

30-11-17 प्रथम पत्र की 22 की लाजरी है। तथा  
Extension हेतु आवेदन है,  
जिसमें किमा जाया है,  
द्वितीय पत्र अछूत  
अदि. 18.12.17 को रखा, नम्बर 2431

18/12/17 - अथ पत्र अछूत है।  
प्रथम पत्र की लाजरी है 15 का आवेदन है जिसमें  
किमा जाया है।  
कालवाचित होने के कारण वाद की कार्यवाही  
न्यायवहित एवं कार्यवहित में समाप्त की जाती है।  
दि 18/12/17